उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, अनुभाग-2

संख्या-23/2016/807/94/स्टा०नि०-2-2016-700(53)15

लखनऊ, दिनांक 11 अगस्त, 2016

अधिसूचना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1899) की धारा-10, 74 एवं 75 तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या-16, सन् 1908) की धारा-78 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, ई-भुगतान के माध्यम से स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क के भुगतान की सुविधा सामान्य-जन को प्रदान करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

उत्तर प्रदेश ई-भुगतान के माध्यम से स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन फीस की भुगतान नियमावली-2016

शीर्षक, प्रसार और प्रारम्भ	1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ई-भुगतान के माध्यम से स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नियमावली, 2016 कही जायेगी। (2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। (3) यह गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
परिभाषायें	2.(1) जब तब संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:- **(क) "ई-भुगतान रसीद"** का तात्पर्य ऐसी रसीद से है, जो पक्षकार द्वारा उत्तर प्रदेश राजकोष में, ई-भुगतान पद्धति के माध्यम से, स्टाम्प शुल्क, या रजिस्ट्रेशन फीस, या अन्य प्रभारों का भुगतान कर दिये जाने के उपरान्त सृजित हो, जिसमें एक विशिष्ट रसीद संख्या भी अंकित हो; **(ख) "अदाकर्ता"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी लिखत के लिए, जिसमें वह पक्षकार हो, स्टाम्प शुल्क या रजिस्ट्रेशन फीस या अन्य प्रभारों का भुगतान ई-भुगतान पद्धति के माध्यम से करता है; **(ग) "ई-भुगतान पद्धति"** का तात्पर्य स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा उपयोग की गयी, स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस एवं अन्य प्रभारों की ई-भुगतान के माध्यम से प्राप्ति एवं लेखांकन की ऑनलाइन पद्धति से है;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(घ) "रसीद पहचान संख्या" का तात्पर्य ई-भुगतान पद्धति के माध्यम से सृजित ई-भुगतान रसीद में अंकित विशिष्ट रसीद संख्या से है; **(ड.) "उप रजिस्ट्रार"** का तात्पर्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-6 के अंतर्गत नियुक्त उप रजिस्ट्रार से है; **(च) "कोषागार"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य में किसी कोषागार से है और इसमें उपकोषागार सम्मिलित है; **(छ) "उत्तर प्रदेश राजकोष"** का तात्पर्य राजकीय कोषागार द्वारा, राजकीय कोषागार में ई-भुगतान की ऑनलाइन प्राप्ति एवं लेखांकन हेतु उपयोग की जा रही पद्धति से है; (2) इस नियमावली में उपयोग किये गये, अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जैसा उत्तर प्रदेश में प्रयोज्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में उनके लिए समनुदेशित किये गये है।
स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस या अन्य प्रभारों के ई-भुगतान की प्रक्रिया	**3. स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस व अन्य प्रभारों के ई-भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-** **(क)** कोई व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अंतर्गत अपने दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण अथवा रजिस्ट्रेशन विभाग की सेवाओं का उपयोग ई-भुगतान के माध्यम से करना चाहता है, वह ऐसा भुगतान विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सीधे राजकोष की वेबसाइट पर ऐसे प्रारूप में जैसा विहित किया जाए, कर सकता है। अपेक्षित शुल्क या फीस का भुगतान और राजकीय कोषागार में धनराशि जमा हो जाने की पुष्टि के उपरान्त ई-भुगतान पद्धति के माध्यम से, ई-भुगतान रसीद का सृजन होगा। **(ख) दस्तावेज का उप रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुतीकरण-**ई-भुगतान रसीद, रजिस्ट्री कराये जाने वाले दस्तावेज के साथ संबंधित उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। **(ग) ई-भुगतान रसीद के सत्यापन के संबंध में उप रजिस्ट्रार का कर्तव्य-** दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रस्तुत होने पर उप रजिस्ट्रार ई-भुगतान पद्धति के माध्यम से ई-भुगतान रसीद के विवरण एवं उसकी प्रामाणिकता का सत्यापन करेगा तथा उस विलेख के रजिस्ट्रीकरण के पूर्व वह ई-भुगतान रसीद को ई-भुगतान पद्धति के माध्यम से लॉक करेगा, जिससे कि ई-भुगतान रसीद का किसी अन्य दस्तावेज हेतु उपयोग न किया जा सके।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(घ) ई-भुगतान प्रमाण पत्र का सृजन- उप रजिस्ट्रार द्वारा ई-भुगतान रसीद को लॉक किये जाने के उपरान्त ई-भुगतान पद्धति के माध्यम से एक प्रमाण पत्र सृजित किया जा सकेगा। उप रजिस्ट्रार उक्त प्रमाण पत्र को अलग कागज पर, दो प्रतियों में मुद्रित करेगा और इन पर दस्तावेजों के पक्षकारों के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। उप रजिस्ट्रार भी उक्त प्रतियों पर हस्ताक्षर करेगा और दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के उपरान्त, इनमें से एक प्रति मूल दस्तावेज के साथ संलग्न करते हुए पक्षकार को वापस करेगा तथा दूसरी प्रति उप रजिस्ट्रार कार्यालय में रखे जाने वाले दस्तावेज की प्रति के साथ संलग्न करेगा।
ई-भुगतान के माध्यम से भुगतान की गयी धनराशि की वापसी	4. **(क)** अदाकर्ता, ई-भुगतान पद्धति के माध्यम से, विहित प्रारूप में, इस नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत किये गये ई-भुगतान की धनराशि की वापसी के लिए आवेदन कर सकता है। **(ख)** ऐसा आवेदन संबंधित उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में अग्रसारित किया जायेगा। उप रजिस्ट्रार आवेदक द्वारा किये गये ई-भुगतान के विवरण का सत्यापन करने के पश्चात इसे जनपद के सहायक आयुक्त स्टाम्प को अग्रसारित करेगा। सहायक आयुक्त स्टाम्प, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसे आवेदन पत्र के निस्तारण की कार्यवाही सम्पन्न करेगा।

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-23/2016/807/94/स्टा०-नि०-2-2016-700(53)/15, दिनांक 11 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 11-08-2016 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की सौ प्रतियॉ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-23/2016/807/94/स्टा०-नि०-2-2016-700(378)/14, दिनांक 11 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/शिविर कार्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त संबंधितों को उक्त अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराते हुए तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
4. निदेशक, कोषागार उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।
8. शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan

Stamp and Registration, Anubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification no. 23/2016/807/ 94/S.R.-2-2016-700(53)/15, date 11 August 2016

NOTIFICATION

No.23/2016/807/94/S.R.-2-2016-700(53)/2015,

Lucknow, Dated 11 August, 2016

The Uttar Pradesh Payment of Stamp Duty And Registration Fees Through E-Payment Rules, 2016

In exercise of the powers under sections 10, 74 and 75 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No.-2 of 1899) and section-78 of the Registration Act, 1908 (Act No.-16 of 1908) the Governor is pleased to make the following rules, with a view to providing facility to general public, to pay Stamp duty and Registration fees through e-payment:-

Short Title, extent and commencement 1- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Payment of Stamp Duty, Registration Fees through E-payment Rules, 2016.

(2) They shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Definitions 2- **(1) In these rules, unless the context otherwise requires-**

(a) **"E-payment receipt"** means a receipt, which is generated after payment of stamp duty or Registration Fees or other charges in Government treasury through e-payment system in UP

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Rajkosh by the party to the instrument, having a unique receipt number;

(b)**"Payer"** means any person paying stamp duty or Registration Fees or other charges, for an instrument, to which he is a party, through e-payment system;

(c)**"e-payment system"** means a system used by the Stamp and Registration Department for online receiving and accounting of Stamp Duty, Registration Fees and other charges through e-payment system;

(d)**"Receipt Identification Number"** means the unique receipt number marked in the e-payment receipt, generated through e-payment system;

(e)"**Sub-Registrar**"**-** shall mean the Sub-Registrar appointed under section-6 of Registration Act, 1908;

(f)**"Treasury"** means a Treasury in the State of Uttar Pradesh and includes a Sub-Treasury;

(g)**"UP Rajkosh"** means a system used by the Government Treasury for online receiving and accounting of E-Payments made in the Government Treasury;

(2) Words and Expression used in these rules not defined shall have the meanings assigned to them in the Indian Stamp Act, 1899 and the Registration Act, 1908 in their application to Uttar Pradesh;

Procedure for E-Payment of Stamp duty, Registration

3- **The procedure for e-payment of stamp duty, registration fees or other charges shall be as under-**

(a) Any person desiring to register his document or utilise any services of the Registration

http://shasanadesh.up.nic.in

fees or other charges	Department under the provisions of the Registration Act 1908, through e-payment may make such payment on the departmental website in such format as may be prescribed. After payment of required duty or fees and deposition of money in the Government Treasury, e-payment receipt would be generated, through e-payment **system.** **(b)Presentation of document before sub-registrar-** The e-payment receipt with relevant document to be registered may be presented in the concerned office of the Sub-Registrar, **(c)Duties of Sub-Registrar regarding verification of e-payment receipt-** On presentation of a document for registration, the Sub-Registrar shall verify the details and authenticity of the e-payment receipt through e-payment system and shall proceed to lock the e-payment receipt through e-payment system, before registration of such document, so that the e-payment receipt may not be used for any other document. **(d)Generation of e-payment certificate-** After locking of e-payment receipt by the Sub-Registrar, a certificate may be generated through e-payment system. The Sub-Registrar shall, print the said certificate on separate papers, in two copies and take signatures thereon, of the parties of the document. The Sub-Registrar shall also sign the said copies and after registration of the document, return the document to the party, enclosing one of these copies with the original document and shall attach other copy with the copy of the document kept in the Sub-Registrar office.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Refund of the amount paid through E-Payment

4. **(a)** The payer may apply for refund of the amount of e-payment made under these rules, in the prescribed format through e-payment system.

(b) The application shall be forwarded to the office of the concerned Sub-Registrar. The Sub-Registrar, after verification of details of the e-payment made by the applicant, shall forward it to the Assistant Commissioner Stamp of the District. The Assistant Commissioner Stamp shall complete the procedure of disposal of such application, under provisions of the Indian Stamp Act, 1899.

(Anil Kumar)
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।